राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3568/2024

मैसर्स शिव जनरल स्टोर, गांधी चौक, नोहर, जिला हनुमानगढ़, कन्हैयालाल उर्फ़ कन्हैयाला गर्ग पुत्र रघुनाथ राय, उम्र 38 वर्ष, निवासी पोस्ट ऑफिस रोड, नोहर, जिला. हनुमानगढ़, राज. के माध्यम से

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एस.के.व्यास

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह - पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

05/07/2024

1. इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा नियमित आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 04/2024 में पारित दिनांक 11.03.2024 का आदेश है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा पारित दिनांक 10.01.2024 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके अनुसार, धारा 397 सीआरपीसी के तहत सुपुर्दगी पर पटाखे छोड़ने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इन्हें पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 514/2023, पुलिस स्टेशन नोहर के तहत धारा 286 आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के नियम 5 और 9 के तहत कथित अपराधों के लिए जब्त कर लिया गया था।

2. याचिका में दिए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 30.10.2023 को पुलिस गश्ती दल ने एक वाहन टाटा-एस (लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल) जिसका पंजीकरण संख्या आरजे 31-जीबी-6631 था, जिसे दीपेंद्र सिंह चला रहा था, को रोका। इसमें पटाखे भरे हुए पाए गए, लेकिन उसके पास पटाखों के परिवहन के लिए कोई वैध

लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने माल जब्त कर लिया और संबंधित एफआईआर दर्ज कर ली।

3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुपुर्दगी आवेदन को इस कारण से खारिज कर दिया कि चालक ने पटाखों के परिवहन या कब्जे के लिए कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार उन्होंने जब्त पटाखों को छोड़ना उचित नहीं समझा। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी इसी कारण से पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

4. याचिकाकर्ता मेसर्स शिव जनरल स्टोर ने अपने अधिकृत व्यक्ति कन्हैयालाल उर्फ कन्हैयालाल गर्ग के माध्यम से यह याचिका दायर की है। दावा किया गया है कि मेसर्स शिव जनरल स्टोर के पास विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस है। हालांकि, न तो इस न्यायालय के समक्ष इसे रिकॉर्ड में रखा गया है और न ही यह स्पष्ट है कि इसे नीचे के विद्वान न्यायालयों के रिकॉर्ड में रखा गया था या नहीं। सुनवाई के दौरान एक स्पष्ट दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के नाम पर वैध लाइसेंस है।

5. वैसे भी, आज सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कि याचिकाकर्ता, जो एक मालिकाना स्टोर है, बिना किसी अपेक्षित लाइसेंस के पटाखों के निर्माण/व्यापार और परिवहन का व्यवसाय कैसे कर रहा है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। किसी भी मामले में यह परीक्षण का विषय है और उचित चरण में विद्वान न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इस पर निर्णय देना इस न्यायालय का काम नहीं है।

6. आक्षेपित आदेशों को ध्यान से पढ़ने के बाद, मेरा मानना है कि ये सभी वैध तर्कों पर आधारित हैं। अन्यथा भी, पटाखों के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान के कारण यह न्यायालय किसी भी तरह की छूट देने से बचता है। इस प्रकार याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

7. खारिज।

8. स्थगन याचिका और सभी अंतरिम आवेदन भी खारिज किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।